खण्ड-238, अंक-1
सोमवार, 15 माघ, शक संवत् 1884
(4 फरवरी, 1963 ई0)

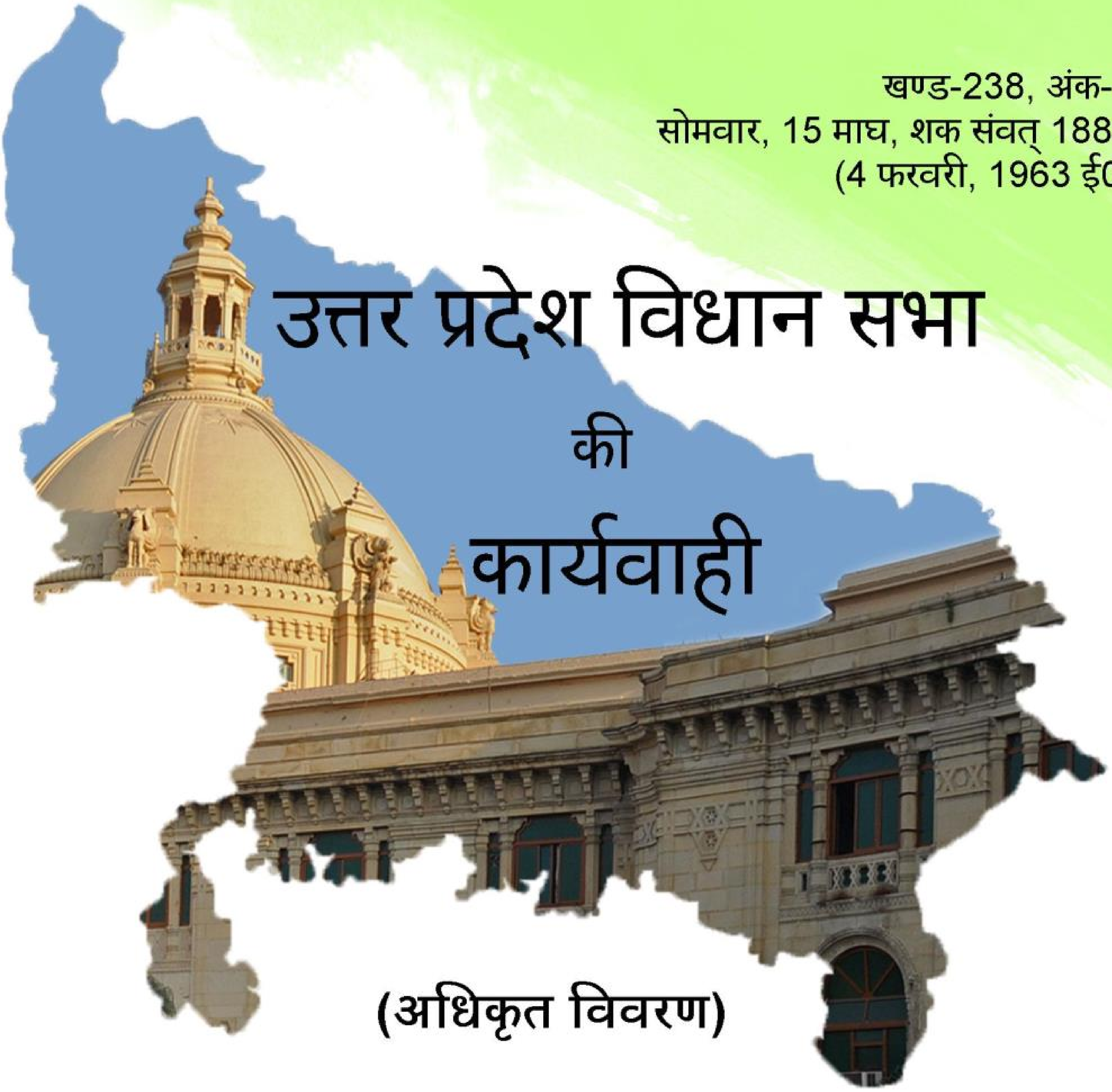

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 238 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
श्री महमूद अली खां (रामपुर) के निधन पर शोकोद्गार ..	५–७
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश का श्री उपाध्यक्ष द्वारा पाठ	७
क्षेत्र समिति के प्रमुख या उप-प्रमुख में अविश्वास प्रस्ताव विषयक नियमावली (मेज पर रखी गई)	७
जिला परिषद् के अध्यक्ष में अविश्वास प्रस्ताव विषयक नियमावली (मेज पर रखी गई)	७
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित आज्ञा (मेज पर रखी गई)	८
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	८
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२ (मेज पर रखी गई)	८
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) नियमावली, १९६२ (मेज पर रखी गई)	८
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) नियमावली, १९६२ (मेज पर रखी गई)	९
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	९
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	९
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित आज्ञा (मेज पर रखी गई)	९–१०
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१०
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१०
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१०
हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (मेज पर रखा गया)	१०
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (मेज पर रखा गया)	११
नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६३ (मेज पर रखा गया)	११
श्री विचित्रनारायण शर्मा के मंत्रित्व पद पर बने रहने के संबंध में जानकारी ..	११
उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	११

विषय

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. ११
उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट्स ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) १२
उत्तर प्रदेश गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) १२
उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) १२
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक, १९६२ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) १२
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) १३
उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) संशोधन विधेयक, १९६२ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) १३
कार्य-स्थगन प्रस्ताव और नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें .. १३
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापित किया गया) १३
हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापित किया गया) १४
नत्थियां १५–२३

संसद पुस्तकालय

बिहार पंचायत सचिव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ४ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में २ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री होती लाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद , श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराज सिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बकन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई लाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
प्रीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहन लाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रखी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
यशपाल सिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री

राजदेव, श्री
राजनार्थसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणमिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
राम आसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रताप सिंह, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
बैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनार्थसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति , श्री
शिवसंपत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सत्यवीर कुंवर, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

श्री महमूद अली खां (रामपुर) के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जब फिर से बैठ रहे हैं, इस बीच में सदन के एक माननीय सदस्य, श्री महमूद अली खां, जो रामपुर से विधान सभा के सदस्य चुने गये थे, वे अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है। वे एक सार्वजनिक कार्य के सिलसिले में कानपुर जिले में गये हुये थे। जब वे लौट कर आये तो थोड़ी देर के बाद उनको हार्ट अटैक हो गया और उनका देहान्त हो गया।

श्री महमूद अली खां साहब रामपुर के उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में से थे, जब से रामपुर जाब्ते से उत्तर प्रदेश में मिला और इस स्टेट में उसका विलीनीकरण हुआ। उसके बाद से वे उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बराबर सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा लिया तथा १९५० से आजतक, जब तक वे जिन्दा रहे, इस सदन के सदस्य रहे। यद्यपि वे बहुत कम बोलते थे लेकिन फिर भी बराबर इस सदन के सदस्य के नाते वे हमारे उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में थे जो शांति और लगन के साथ अपने कार्यों में जुटते थे और जो जिम्मेदारी उनके कन्धों पर डाली जाती थी, उसको निभाने की कोशिश करते थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि श्री महमूद अली खां हमारे बीच से उठ गये और इस तरह से रामपुर का एक सार्वजनिक कार्यकर्ता हम ने खो दिया जो नेशनलिस्ट तो थे ही उसके साथ ही जिन खयालात को इन १०–१२ वर्षों में उन्होंने जाहिर किया उनसे हम सब लोग एकता के धागे में बन्धते हैं और साम्प्रदायिक खयालात से ऊंचे उठकर सदा उन्होंने उस रास्ते को अपनाया जो रास्ता इस देश को एकता दे सकता है।

ऐसे अपने साथी के प्रति यह स्वाभाविक है कि हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके दुखित परिवार के साथ समवेदना प्रकट करें। मैं अपनी ओर से और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन की इन भावनाओं को उनके संतप्त परिवार तक भेजने का कष्ट करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो बातें माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहीं, मैं उनसे अपने को और जनसंघ को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन है कि उनके दुखी और सन्तप्त परिवार तक हम सबकी समवेदना और दुख पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, अभी नेता सदन ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। महमूद अली साहब इस सदन में तीसरी बार चुन कर आये थे। पिछले तीन बार से हम लोगों का उनसे सम्बन्ध रहा है। यों तो वे इस सदन के वादविवाद में कम हिस्सा लेते थे, लेकिन वे बहुत ही शांत, गम्भीर स्वभाव के राष्ट्रसेवी मुसलमान थे। हमारे प्रदेश से ही नहीं, बल्कि देश से भी धीरे-धीरे राष्ट्र के देशभक्त मुसलमानों की दूसरी कतार भी समाप्त होती जा रही है, जबकि इस राष्ट्रीय संकट के अवसर पर और देश में अनेक बिखराव की साम्प्रदायिक प्रवृतियों के बढ़ने की सम्भावना को देखते हुये हमारे लिये और राष्ट्रीय एकता के लिये ऐसे व्यक्ति की अभी महान् आवश्यकता थी ताकि वे हमारे देश की, प्रदेश की और समाज की सेवा करते। लेकिन काल के सामने किसी की नहीं चलती। वे आज हमारे बीच से हमेशा के लिये चले गये। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके परिवार तक हमारी समवेदना और हमारी सहानुभूति पूर्ण भावनायें जरूर पहुंचा देंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार माननीय मुख्य मन्त्री जी की भावनाओं के साथ अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री महमूद अली खां साहब के निधन से वास्तव में सारे सदन को बहुत शोक है। माननीय नेता सदन और हमारे साथियों ने उनके सम्बन्ध में जो अपनी भावनायें प्रकट की हैं, उन विचारों से हम लोग भी अपने को सम्बद्ध करते हैं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से हमारी समवेदना को उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महमूद अली खां के निधन से इस सदन को जो अफसोस हुआ है, उससे हम और हमारा दल सम्बद्ध है। इस सदन में माननीय नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके दुखी परिवार तक हमारे दल की ओर से हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से श्री महमूद अली साहब के स्वर्गवास के सम्बन्ध में नेता सदन ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और साथ ही आपसे यह आग्रह करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आज यह दुख का विषय है कि हमारे सम्मानित सदन के एक सदस्य श्री महमूद अली खां हमारे बीच में अब नहीं रहे। वह हमारे सदन के बहुत पुराने सदस्य रहे हैं और सन् १९५० से अब तक वह बराबर हमारे सदन के सदस्य थे। उनकी कोई अधिक अवस्था भी नहीं थी, वह नौजवान ही थे, ४०–४५ के करीब उनकी उम्र थी। अकस्मात ऐसा हुआ कि हमारे गन्ना मन्त्री जी दौरा कर रहे थे उन्हीं के साथ वह गये हुये थे, उसी दिन कुछ उनको परिश्रम अधिक पड़ा और वह रात को १२ बजे लौटे और इसके फल-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वरूप उनको हृदय का दौरा हुआ और वह हमारे बीच में नहीं रहे। जो विचार यहां माननीय मुख्य मन्त्री जी, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं द्वारा प्रकट किये गये हैं उन सब से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो भाव यहां प्रकट किये गये हैं वह समवेदना और विचार में सन्तप्त परिवार को भेज दूंगा। अब दो मिनट के लिये सदन के सदस्य खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करेंगे।

(सब सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये खड़े हो गये।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश का श्री उपाध्यक्ष द्वारा पाठ

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं अपनी प्रक्रिया नियमावली के नियम २० (२) के अनुसार महामान्य राज्यपाल का संबोधन आपको पढ़कर सुनाता हूं, उसके आरम्भ के और अन्त के कुछ भाग को मैं आपके सामने पेश करूंगा।

"विधान-परिषद् के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान-मंडल के सदस्यगण,

सम्पन्न परम्परा तथा महान संस्कृति वाले इस उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख के रूप में वर्तमान पद ग्रहण करने के बाद आज पहली बार आपको सम्बोधित करने का जो अवसर मुझे मिला है, उसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मुझे वास्तव में बड़ा सन्तोष होता यदि मैं आपको हिन्दी में संबोधित कर सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी कठिनाई पर विचार करके हिन्दी में बोलने की मेरी असमर्थता के प्रति सहनशील दृष्टिकोण अपनायें।

× × ×

हमारा उत्तरदायित्व द्विगुणित है—एक तो अपने स्वप्नों के राष्ट्र के निर्माण का तथा दूसरे आक्रामक को हटाने की तैयारी का। इसके लिए साहस, बुद्धिमता, दूरदर्शिता, और सर्वोपरि इच्छा-शक्ति तथा चित्त की एकता की आवश्यकता है। जनता ने मार्ग-प्रदर्शन कर दिया है और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने को समयानुसार उठावें और देश को विजय-पथ पर ले चलें। मुझे विश्वास है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता तथा विचार-विमर्श द्वारा अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

जय हिन्द।"

(पूर्ण भाषण के लिए देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५–१९पर)

क्षेत्र समिति के प्रमुख या उप-प्रमुख में अविश्वास प्रस्ताव विषयक नियमावली*

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५२०१–ए/३३–२३–आर–६१, दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२, के अधीन प्रख्यापित क्षेत्र समिति के प्रमुख या उप-प्रमुख में अविश्वास प्रस्ताव विषयक नियमावली को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, की धारा २३७ की उप-धारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

जिला परिषद् के अध्यक्ष में अविश्वास प्रस्ताव विषयक नियमावली*

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५२०२–ए/३३–२३–आर–६१, दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२, के अधीन प्रख्यापित जिला परिषद् के अध्यक्ष में अविश्वास प्रस्ताव विषय के नियमावली को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित आज्ञा*

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, की धारा ६४ के अन्तर्गत दी गयी तथा राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३४२/१(क)–३६०७–५९, दिनांक २४ नवम्बर, १९६२, के अधीन प्रख्यापित आज्ञा को उक्त अधिनियम की धारा ६६ की उप-धारा (१) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन†

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६२, में पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५५३४-ए/३३–५–आर–६१, दिनांक ८ जनवरी, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४८६१–ए/३३–२०–आर–६१, दिनांक १४ नवम्बर, १९६२, के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२, को जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ३ दिसम्बर, १९६२, को सदन की मेज पर रखी गई थी और जिस को सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) नियमावली, १९६२*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४७७२–ए/३३–२५–आर–६१ दिनांक १४ नवम्बर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) नियमावली, १९६२ को, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ३ दिसम्बर, १९६२ को सदन की मेज पर रखी गई थी और जिसके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापी नहीं गई।
†छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) नियमावली, १९६२*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४८६२–ए/३३–२५–आर–६१, दिनांक १४ नवम्बर, १९६२, के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) नियमावली, १९६२ को, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ३ दिसम्बर, १९६२, को सदन की मेज पर रखी गई थी और जिसके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन†

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री ब्रजबिहारी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४६२३–१ (क)–३६०३–५९, दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५९ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार दिनांक ३ दिसम्बर, १९६२ को सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अध्याय ३ के अन्तर्गत नियमावली में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३०८९(१)–१(क)/३६०३–५९, दिनांक १८ अगस्त, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों की जो उक्त अधिनियम की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार दिनांक १३ नवम्बर, १९६१ एवं पुनः दिनांक ४ दिसम्बर, १९६२ को, सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि क्रमशः सदन के विघटन एवं सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित आज्ञा†

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ६४ तथा धारा ८२ के अधीन दी गई तथा राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १५२४–ए जेड–१ (क) २३५७–५९, दिनांक २० जून, १९६१ के अधीन प्रख्यापित आज्ञा को जो

*छापी नहीं गयी।
†छापे नहीं गये।

माल मंत्री के सभासचिव (श्री ब्रजबिहारी)—

उक्त अधिनियम की धारा ६६ की उपधारा (१) के अनुसार दिनांक १३ नवम्बर, १९६१ एवं पुनः ४ दिसम्बर, १९६२ को सदन की मेज पर रखी गई थी और जिसके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि क्रमशः सदन के विघटन एवं सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम–वी–आर–ए–एम/४४—२२१६–टी–एम–३०–बी, दिनांक २४ सितम्बर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अनुसार दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ को सदन की मेज पर रखा गया था और जिसके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन*

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)—

मान्यवर, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम–वी–टी–आर–ए–एम–८/ ३६४७–टी–एम–३० (बी) –१०५–पी०–६१, दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, जो मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २१ के अनुसार दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ को सदन की मेज पर रखा गया था और जिसके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन*

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, १९६२ में परिवहन (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५०१०–ए–१/३०–ए–१६३-ए-६२, दिनांक ४ दिसम्बर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उप-धारा (३) के अनुसार दिनांक १२ दिसम्बर, १९६२ को सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) अध्यादेश, १९६२*

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—

श्रीमन, मैं हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ को सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६२*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ को सदन की मेज पर रखता हूं।

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६३*

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा के मन्त्रित्व पद पर बने रहने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहता था, आपने अभी स्वायत शासन मन्त्री जी से पढ़वाया तो क्या विचित्र भाई का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है.....

(व्यवधान)

यानी अभी भी वह मन्त्री हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

जी हां।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १४ सितम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २५ सितम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ५ दिसम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गई है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का २१वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ६ अप्रैल, १९६२ की बैठक में पारित किया तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने संशोधित रूप में ९ अगस्त, १९६२ की बैठक में पारित किया तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९६२ की बैठक में उत्तर प्रदेश विधान सभा, द्वारा पारित किये गये संशोधनों को स्वीकार करते

*छापे नहीं गये।

[सचिव विधान सभा]

हुये, कुछ अन्य संशोधनों सहित पारित किया तथा जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २० सितम्बर, १९६२ की बैठक में स्वीकार किया, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ७ दिसम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गई है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा बिना किसी सिफारिश के ११ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १९ दिसम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गई है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ११ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की स्वीकृति दिनांक १९ दिसम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गई है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ६ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ११ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में बिना किसी सिफारिश के पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २० दिसम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गई है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २५ सितम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १ नवम्बर, १९६२ की बैठक में कुछ संशोधनों सहित पारित किया था, तथा जिन संशोधनों को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने ५ नवम्बर, १९६२ को स्वीकार किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १८ दिसम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गई है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १० दिसम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ को बिना किसी सिफारिश के पारित किया गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २५ दिसम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) संशोधन विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) संशोधन विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २५ सितम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १ नवम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २४ जनवरी, १९६३ को प्राप्त हो गई है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव और नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे यह सूचना देनी है कि कार्य स्थगन और नियम ५२ की कुछ सूचनायें मुझे मिली हैं । उन सूचनाओं को मैं कल लूंगा । आज का दिन औपचारिक कार्य के लिये था और अभी थोड़ी देर में हमको एक जगह जाना भी है, इसलिये अब समय नहीं है ।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २०–२१ पर)

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३

स्वायत शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--

मैं हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

मैं हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२-२३ पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हमारे सामने कोई काम नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था, आज तिलक हाल में यू० ए० आर० के श्री क्लाविस मकसूद साहब का भाषण होगा और वहां हम सब को चलना है। वह ३ बजे से होगा।

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
४ फरवरी, १९६३।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७ पर पर)

राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष ४ फरवरी, १९६३ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष १९६३ के प्रथम सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास का अभिभाषण

"विधान-परिषद् के सभापति, विधान-सभा के अध्यक्ष तथा विधान-मंडल के सदस्यगण, सम्पन्न परम्परा तथा महान् संस्कृति वाले इस उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख के रूप में वर्तमान पद ग्रहण करने के बाद आज पहली बार आपको सम्बोधित करने का जो अवसर मुझे मिला है, उसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मुझे वास्तव में बड़ा सन्तोष होता यदि मैं आपको हिन्दी में सम्बोधित कर सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी कठिनाई पर विचार करके हिन्दी में बोलने की मेरी असमर्थता के प्रति सहनशील दृष्टिकोण अपनायें।

गत अक्तूबर में जब आप यहीं थे, अपनी सीमा पर चीनियों के बर्बरतापूर्ण हमले की बात सुनकर हम सबको धक्का लगा था। यह इसलिये कि यह हमला ऐसे देश ने किया था जो हमारी मित्रता का दम भरता था और जिसने 'पंचशील' की घोषणा में हमारा साथ दिया था। तथापि, जैसा कि आप जानते हैं, इस बात ने पूरे राष्ट्र में दृढ़ संकल्प और प्रत्येक अवस्था के लिए तैयारी की भावना के साथ खतरे का सामना करने के लिए अभूतपूर्व एकता, जागृति तथा उत्साह को जन्म दिया।

इस राज्य की विशेष जिम्मेदारियां हैं और मुझे प्रसन्नता है कि मेरी सरकार उनके प्रति पूरी तौर से सचेत है। स्वयं मैंने और मेरे मुख्य मंत्री ने भी उत्तराखंड डिवीजन का व्यापक दौरा किया है। वहां के दुर्गम प्रदेश और संचार की तथा अन्य कठिनाइयों के बावजूद लोगों की आर्थिक दशा में सुधारार्थ चतुर्दिक विकास-कार्यवाही में तेजी लाने के लिए दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इस डिवीजन के सीमावर्ती जिलों में नागरिक सुरक्षा की कार्यवाही की वृद्धि करने और विशेषतया नागरिकों को बन्दूक आदि चलाने की शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सम्पूर्ण राज्य के लिए एक नागरिक सुरक्षा योजना भी तैयार की गयी है तथा नागरिक सुरक्षा के निदेशक के अधीन नागरिक सुरक्षा संघटन का व्यापक रूप से संघटन किया गया है जो इस राज्य में किये जाने वाले विभिन्न नागरिक सुरक्षा-कार्यों में समन्वय स्थापित करेगा तथा उनका निरीक्षण करेगा। प्रत्येक जिले से चुने गये कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए लखनऊ में एक नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। ये व्यक्ति बाद में अपने जिलों में नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे।

सामुदायिक विकास तथा पंचायत-राज संस्थाओं के व्यापक संगठन के साथ सम्बद्ध करके प्रान्तीय रक्षक दल का पुनर्संगठन किया गया है। इस दल का ग्राम सुरक्षा, उत्पादन तथा सामूहिक शिक्षा देने का त्रिमुखी कार्यक्रम रहेगा। प्रत्येक पंचायत एक सुरक्षा श्रम बैंक (डिफेन्स लेबर बैंक) का भी संघटन करेगी। यह भी विचार है कि गृह-रक्षकों (होम गार्ड) की योजना का प्रारम्भ ग्रामीण तथा नागर क्षेत्रों में कर दिया जाये। स्वस्थ व्यक्तियों को राइफल चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। नागरिक सुरक्षा तथा बन्दूक आदि के प्रयोग के प्रशिक्षण के अतिरिक्त, राज्य के अनेक स्थानों पर नर्सिंग तथा प्राथमिक-चिकित्सा में प्रशिक्षण का कार्य भी चल रहा है।

आप यह अनुभव करेंगे कि इन कार्यों में बहुत व्यय होगा। साधनों की बचत की दृष्टि से मेरी सरकार प्रशासन की विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का पुनरीक्षण करती रही है। योजनाओं पर होने वाले व्यय में भी कमी करनी है तथा उनके पूर्वता-क्रम को पुनः निर्धारित

करना है। किन्तु समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह सब तथा साधन जुटाने के लिए अब तक किये गये उपाय, जिनमें आप द्वारा स्वीकृत कर भी हैं, पर्याप्त न होंगे। अतः वर्तमान साधनों की वृद्धि के लिए कुछ अन्य उपाय निकालने ही होंगे।

पिछले कुछ समय से मेरी सरकार राज्य मद्य-निषेध के अभिनवीकरण के प्रश्न पर भी विचार कर रही थी और इस विषय के सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने के बाद, उसने हाल ही में यह निर्णय किया है कि कुछ जिलों में ही लागू होने वाली मद्य-निषेध की वर्तमान योजना के स्थान पर सारे राज्य में लागू होने वाली एक परिष्कृत योजना चलायी जाये। इस नयी योजना के अधीन निर्दिष्ट दिनों पर प्रत्येक नागरिक के सम्बन्ध में मद्य-निषेध प्रभावी होगा।

पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न योजनाओं की पुनर्व्यवस्था तथा पुनर्निर्धारण करते समय उन योजनाओं पर अपेक्षित मात्रा में अधिक बल दिया गया है जो देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। औद्योगिक विकास भी उनमें से एक है। उत्तर-प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम ने अनेक स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना आरम्भ कर दिया है जिससे कि औद्योगिक प्रयासों के लिए बिजली, पानी, संचार आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं सहित स्थलों (साइट्स) की व्यवस्था की जा सके।

ग्राम एवं लघु उद्योगों के क्षेत्र में, ग्रामीण एवं नागर क्षेत्रों, दोनों में, औद्योगिक आस्थानों के कार्य को पूरा करने को अधिक महत्व दिया गया है, जिससे कि इकाइयां, यथाशक्य शीघ्र उत्पादन शुरू कर दें।

मेरी सरकार ने एक उत्तर प्रदेश शक्कर उद्योग परामर्श समिति नियुक्त की है, जिसमें प्रसिद्ध गैर-सरकारी व्यक्ति और गन्ने के विशेषज्ञ भी हैं, जो कि राज्य में शक्कर उद्योग की स्थिति को सुदृढ़ अवस्था में लाने के लिए गन्ने के गुण और उसकी प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी। इसके द्वारा राज्य में मद्यसार पर आधारित ऐसे उद्योगों को स्थापित करने में सहायता मिलेगी जिनके लिए शीरे की—जो शक्कर उद्योग का उपोत्पादन है—अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी।

यह उत्साहजनक बात है कि उद्योग में न केवल सामंजस्यपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखा गया है, बल्कि आवश्यकीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रमिकों ने भी औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में तत्परता से पूरा योगदान किया है।

बिजली भी एक अन्य साधन है जो उद्योगों के विकास और जनता की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ सुरक्षा सम्बन्धी उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। रिहन्द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ने राज्य के पूर्वी भाग के विभिन्न उपभोक्ताओं, नगरों तथा अनेक उद्योगों को बिजली देना आरम्भ कर दिया है। इस राज्य में रिहन्द बिजली का पूरा उपभोग होने तक, मेरी सरकार रिहन्द पावर स्टेशन से दामोदर घाटी कारपोरेशन को, विशेषकर बिहार तथा बंगाल में स्थित कोयले की खानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के निमित्त कुछ बिजली देने के लिए सहमत हो गयी है। कोयले के उत्पादन में वृद्धि करना वर्तमान राष्ट्रीय आपात की स्थिति में विशेष महत्वपूर्ण है और उक्त स्थानों पर कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त अन्य विद्युत परियोजनाओं को भी पूरा करने की दिशा में तीव्रता लाने तथा बिजली की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य स, उनमें से कुछ में और इकाइयों को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है।

सिंचाई का महत्व स्वतः स्पष्ट है। बहुत से साधनों का निर्माण हो चुका है और उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पिछला अनुभव यह रहा है कि सिंचाई के जिन नये साधनों की व्यवस्था की गयी थी उनका समुचित उपयोग नहीं किया गया। इस स्थिति का सामना करने के लिए मैंने उस समय जब कि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, नार्दर्न

इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६३ इस उद्देश्य से प्रख्यापित किया कि यदि किसान जलमार्गों का निर्माण न करें तो सरकार स्वयं उनका निर्माण करा कर उस पर होने वाला व्यय लाभ-ग्राहियों से वसूल कर सके।

आपात की घोषणा के साथ-साथ कृषि-उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता का महत्व और भी बढ़ गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्णय लिये गये हैं कि रासायनिक उर्वरकों, खादों, उन्नत प्रकार के बीजों और औजारों की शीघ्रतापूर्वक और पर्याप्त पूर्ति हो सके। पौध-रक्षण सम्बन्धी कार्यवाहियां बढ़ायी गयी हैं और भूमि संरक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है।

सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्यकलापों पर परिवर्तित स्थिति का काफी प्रभाव पड़ा है। भवन-निर्माण के सामान्य कार्यक्रम में कमी की जा रही है जिससे कि अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए सामान और साधन बचाये जा सकें। आवश्यक सड़कों और पुलों के निर्माण तथा अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मेरी सरकार की सहकारिता नीति, जिसे लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में धीरे-धीरे किन्तु स्थिरता से अपना रहे हैं, सन्तोषजनक रूप से प्रगति करती जा रही है और राज्य में सहकारी समाज स्थापित करने के मेरी सरकार के दृढ़ निश्चय की पूर्ति की ओर अग्रसर होती जा रही है। सहकारिता संबंधी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहकारी आन्दोलन का प्रसार इस राज्य के लोगों को अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत करने में सहायक सिद्ध हुआ है। सबसे बड़े आठ नगरों में हाल ही में चालू की गयी उपभोक्ता सहकारी स्टोर की योजना का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक में एक केन्द्रीय स्टोर तथा बीस प्राथमिक स्टोर होंगे।

इस राज्य में खाद्यान्न की स्थिति सन्तोषजनक रही है। यह प्रसन्नता की बात है कि विभिन्न उपायों तथा विनियामक कार्यवाहियों के कारण तथा जनता के सहयोग से मूल्य-स्तर स्थिर रखना सम्भव हो सका है।

सुरक्षा सेवाओं के निमित्त जन-शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इस राज्य में अपने सामान्य कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय नियोजन सेवा, उसके विभिन्न नियोजन कार्यालयों के माध्यम से, और बढ़ा दी गयी है। इसके अलावा अपरेन्टिसेज ऐक्ट, १९६१ को भी कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की गयी है, जिसके अनुसार निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में सभी अधिष्ठानों के लिए शिशुक्षुओं को भरती करना तथा उनको प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण-कार्य पूरा करके शुरुआत की जा चुकी है। यह आशा की जाती है कि इस योजना के फलस्वरूप, जिसे उद्योग के सहयोग से चलाना है, बहुत से कुशल शिल्पकार निकलेंगे।

प्राविधिक कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, नये प्राविधिक संस्थान स्थापित करके तथा वर्तमान संस्थानों का विस्तार करके डिप्लोमा संस्थानों से उत्तीर्ण होकर निकलने वालों की संख्या में वृद्धि की गयी है।

मेरी सरकार ने युद्ध में मारे गये अथवा अंगहीन हुए सुरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में डिगरी कक्षाओं तक शिक्षण शुल्क देने से मुक्त कर दिया है जिससे कि वे अध्ययन जारी रख सकें। नेशनल केडिट कोर (रायफिल) तथा प्रान्तीय शिक्षा दल के प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। विश्वविद्यालय के स्तर पर तथा उसके पूर्व की कक्षाओं में विज्ञान के अध्ययन पर भी बल दिया जा रहा है।

हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक सुविधाएं जारी रखी जा रही हैं। बेरोजगारों के पुनर्वासन के लिए तथा औद्योगिक और वन श्रमिक सहकारी समितियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गयी हैं। नागर-क्षेत्रों में भंगियों की दशा सुधारने के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान स्वीकृत किये गये हैं।

डाक्टरों की कमी दूर करने के लिए मेरी सरकार ने अगले सत्र से आगरा, इलाहाबाद, कानपुर तथा लखनऊ के चार मेडिकल कालेजों में भरती होने वाले छात्रों की संख्या में २५ प्रतिशत वृद्धि करने और मेरठ में एक नया मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय किया है।

राज्य में स्वायत्त शासन संस्थाएं सन्तोषजनक रूप से कार्य करती रही हैं, सिवाय कुछ संस्थाओं के जिन्हें निलम्बित करना पड़ा। नवम्बर, १९५७ में संघटित समस्त नगरपालिका-बोर्डों का कार्यकाल १९६१ में एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तदुपरान्त उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त २४ नवम्बर, १९६२ से पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी की दो नयी नगरपालिकायें बनायी गयीं।

क्षेत्रीय समितियों ने १८ जुलाई, १९६२ से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अधीन परिनियत निकायों के रूप में कार्य करना आरम्भ कर दिया और अन्तरिम जिला परिषदों ने पूर्णरूपेण जिला परिषदों के अधिकार ग्रहण कर लिये। जिला परिषदों का संघटन पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है और मेरी सरकार को यह आशा है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ के, जिसे आप पारित कर चुके हैं, अधिनियम बन जाने के पश्चात् कुछ महीनों के भीतर ही उसे पूरा कर दिया जायगा। जिला खण्ड तथा ग्राम स्तरों पर जनता की परिनियत संस्थाओं को पर्याप्त रूप से शासकीय अधिकार देकर लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है। गांव समाज का गांव सभा में विलयन हो जाने तथा गांव पंचायत की समिति के रूप में भूमि-प्रबन्धक समिति के पुनस्संघटन से गांव पंचायतों में भी अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व आ गया है। इन लोकतन्त्रात्मक निकायों के सदस्यों के प्रशिक्षण पर अब अधिक बल दिया जा रहा है जिससे कि वे अपना उत्तरदायित्व अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से निभा सकें। पंचायत सेक्रेटरियों का प्रशिक्षण भी जारी रहा और बहुतों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मेरी सरकार इस राज्य में निवास-व्यवस्था तथा विकास बोर्ड की स्थापना करने के निमित्त एक विधेयक पुरःस्थापित करने का भी विचार कर रही है। इस बोर्ड को राज्य की समस्त गृह-निर्माण योजनाओं तथा नगर महापालिकाओं और इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का भार सौंपा जायेगा।

राज्य में मकानों की कठिनाई हो रही है और वर्तमान परिस्थितियों में यह कठिनाई बढ़ती ही रहेगी। अतएव, मेरी सरकार यह वांछनीय समझती है कि यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ तथा यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्विजिशन ऐक्ट, १९४७ को तब तक रहने दिया जाय जब तक कि इस सम्बन्ध में व्यापक विधायन लाना सम्भव न हो।

आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप पुलिस प्रशासन तथा पुलिस दल को अधिक दक्ष बनाने के विचार से मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए और कदम उठाये हैं। सिविल तथा सशस्त्र पुलिस की संख्या भी काफी बढ़ा दी गयी है। सीमान्त जिलों में पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ कर दिया गया है और उसे सहायक पुलिस महानिरीक्षक (असिस्टेंट इंसपेक्टर जनरल आफ पुलिस) के अधीन कर दिया गया है, जिनका मुख्यालय चमोली में होगा।

उच्च न्यायालय में कार्य के बढ़ते हुए अवशेष का सरकार को ध्यान रहा है। इस समस्या का समाधान ढूंढने की चिन्ता में मेरी सरकार ने उच्च न्यायालय को छः और अपर न्यायाधीश देने का निश्चय किया है। आशा है कि इस अतिरिक्त संख्या से उच्च न्यायालय इस कार्य-अवशेष को कम करके उसे उचित सीमा तक लाने में समर्थ हो जायगा।

जुलाई, १९६१ में आचार्य जे० बी० कृपालानी की अध्यक्षता में बनायी गयी उत्तर प्रदेश भाषा समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। मेरी सरकार नकद पुरस्कार तथा हिन्दी योग्यता प्रमाण-पत्र देने की योजना चला कर हिन्दी के प्रोत्साहन तथा उसके विकास

के लिए सतत् प्रयास करती रही है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि मेरी सरकार ने गुजरात सरकार और दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के प्रशासन से अन्तर्राज्यीय पत्र-व्यवहार हिन्दी में करने का अनुबन्ध किया है। यह अनुबन्ध उन अनुबन्धों के अतिरिक्त है जो इस सम्बन्ध में बिहार तथा राजस्थान सरकारों और साथ ही साथ भारत सरकार से पहले ही किये जा चुके हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये निर्णय के फलस्वरूप, लोक सभा तथा राज्य विधान-मंडल के लिए निकट भविष्य में कोई उप-निर्वाचन नहीं होंगे। अतएव, जिला निर्वाचन कार्यालयों के कर्मचारियों को उनके कर्त्तव्यों के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा के कार्य में नियोजित किये जाने के लिए उपलभ्य कर दिया गया है।

मैंने संक्षेप में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया है जिन पर मेरी समझ में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने उन्हें विस्तारपूर्वक नहीं बताया है, क्योंकि मेरे वित्त मन्त्री १५ फरवरी, १९६३ को वर्ष १९६३–६४ का वार्षिक वित्तीय विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में उन विषयों पर प्रकाश डालेंगे। वह १४ फरवरी, १९६३ को वर्ष १९६२–६३ की अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वर्तमान सत्र में आपका अधिकांश समय उपर्युक्त वित्तीय कार्य में लग जायेगा।

जिस अवधि में सदनों का सत्र नहीं हो रहा था, मैंने हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल (संशोधन) अध्यादेश, १९६२, उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ तथा नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६३, जिसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं, प्रख्यापित किये थे। प्रथम दो अध्यादेश सम्बद्ध मूल अधिनियमों की अवधि ३१ दिसम्बर, १९६२ से आगे बढ़ाने के लिए प्रख्यापित किये गये थे। इन अध्यादेशों के स्थान पर विधान-मंडल द्वारा बनाय गये अधिनियमों को रखने के लिए विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और इससे पूर्व कि अध्यादेश आज से ६ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहे, आपसे उन विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने की अपेक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं, जैसे उत्तर-प्रदेश शीरा नियन्त्रण विधेयक, १९६३, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३, उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३ तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३, ये भी वर्तमान सत्र में विचारार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इनके अलावा कुछ और विधेयक भी हो सकते हैं।

हमारा उत्तरदायित्व द्विगुणित है—एक तो अपने स्वप्नों के राष्ट्र के निर्माण का तथा दूसरे आक्रामक को हटाने की तैयारी का। इसके लिए साहस, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और सर्वोपरि इच्छाशक्ति तथा चित्त की एकता की आवश्यकता है। जनता ने मार्ग-प्रदर्शन कर दिया है और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने को समयानुसार उठावें और देश को विजय-पथ पर ले चलें। मुझे विश्वास है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता तथा विचार-विमर्श द्वारा अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

जय हिन्द"

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३ पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८ के लिये ;

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने

विधेयक

उ०प्र० अधिनियम संख्या २२,१९५८ उ० प्र० अध्यादेश संख्या २,१९६२

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने के लिये, राज्यपाल ने ३१ दिसम्बर, १९६२ को उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ प्रख्यापित किया था,

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय,

अतएव, भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

उ०प्र० अधिनियम संख्या २२,१९५८ की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा १ की उपधारा (३) में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६२ को समाप्त हो जायगी" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायेगी सिवाय उत्तराखंड डिवीजन के जहां यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६७ को समाप्त हो जायेगी" रख दिये जायें।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या २, १९६२ का निरसन

३—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गयी अधिनियमिति हो।

उद्देश्य और कारण

यह आशा थी कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की अवधि के समाप्त होने तक अर्थात ३१ दिसम्बर, १९६२ तक, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों के अनुसार जिला परिषदें स्थापित करना सम्भव होगा। किन्तु ऐसा न हो सका जिसका मुख्य कारण यह निर्णय था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जिला परिषदों के कुछ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में उपबन्ध हटा दिया जाय। तदनुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने के लिए विधान मंडल के समक्ष एक विधेयक लाया गया था और वह उसके पिछले सत्र में पारित भी हो गया। अतएव यह आवश्यक हो गया कि अधिनियम की अवधि समुपयुक्त रूप से बढ़ा दी जाये जिससे कि वर्तमान अन्तरिम व्यवस्था कुछ और समय तक बनी रह सके। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के कारणों से उत्तराखंड डिवीजन के जिलों में जिला परिषदें स्थापित करने का विचार नहीं है और वहां उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ का प्रवर्तन निलम्बित कर दिया गया है। इसलिये यह आवश्यक हो गया कि उक्त जिलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की अवधि कम से कम पांच वर्षों के लिये और बढ़ा दी जाय। चूंकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिये एक अध्यादेश अर्थात उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६२, ३१ दिसम्बर, १९६२ को प्रख्यापित किया गया जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अवधि ३० जून, १९६३ तक बढ़ा दी गयी, सिवाय उत्तराखंड डिवीजन के जहां यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६७ तक के लिए बढ़ायी गयी।

वर्तमान विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अनुसार विधान मंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा।

तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
विकास मंत्री।

विवरण जिसमें अधिनियम की वह धारा दी गयी है, जिसमें संशोधन करना है

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह २९ अप्रैल, १९५८ से प्रचलित हुआ समझा जायेगा तथा इसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९६२ को समाप्त हो जायेगी।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १४ पर)

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४, १९५५ ई०

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४ का प्रचलन बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिये ;

विधेयक

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६२

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ राज्यपाल द्वारा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ के अधीन प्रख्यापित किया गया था;

और यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जायें ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४, १९५५ ई० की धारा १ का संशोधन

२—हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४ की धारा १ की उपधारा (३) में अंक "१९६२" के स्थान पर अंक "१९६५" रख दिये जायें ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६२ का निरसन यू० पी० ऐक्ट १, १९०४

३—हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गयी अधिनियमिति हो ।

उद्देश्य और कारण

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४ (उ० प्र० अधिनियम संख्या १४, १९५५ ई०) की अवधि, जो ३१ दिसम्बर, १९६२ को समाप्त होने वाली थी, ३० दिसम्बर, १९६२ को हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६२) प्रख्यापित करके दिसम्बर, १९६५ तक बढ़ा दी गयी, क्योंकि ऐसा समझा गया कि नगर विकास मंडल की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे उस समय तक किसी प्रकार के स्थानीय निकाय में परिवर्तित किया जा सके ।

तदनुसार यह विधेयक, अध्यादेश के उपबन्धों को विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है ।

विचित्रनारायण शर्मा,
मंत्री, स्वायत्त शासन ।

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४ की धारा १ की उपधारा (३) का उद्धरण जिसे हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल (संशोधन) विधेयक, १९६३ द्वारा संशोधन करने का प्रस्ताव है

यू० पी० ऐक्ट १, १९०४

१—(३) यह दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६२ की समाप्ति पर उक्त दिनांक से पूर्व कृत अथवा अकृत विषयों (things done or omitted to be done) को छोड़ कर प्रचलित न रहेगा, तथा इस अधिनियम की समाप्ति पर यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट समाप्ति पर यू० पी० की धारा ६ इस पर इस प्रकार प्रवृत होगी, मानो यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (U. P. Act) द्वारा निरस्त (repeal) हुआ हो ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २९५ एल० ए०—१९६३—८५० ।